

**कार्यालय प्राचार्य शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय
सवाई माधोपुर**

फोन नं: 07462-220307

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत स्वघोषणा

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ :-

- (क) अभिलेखों को सूचीबद्ध, अनुक्रमणिकाद्वारा, कम्प्यूटरीकृत किया जाना।
- (ख) स्व-घोषणाएँ (17 बिन्दुओं):-
- (1) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।
 - (2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
 - (3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।
 - (4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।
 - (5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।
 - (6) ऐसे दस्तावेजों के जो उनके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण धीन है, प्रवर्गों का विवरण।
 - (7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावादन के लिए विद्यमान है।
 - (8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी विवरण।
 - (9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
 - (10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।
 - (11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ, उपर्दर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

- (12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवृत्ति राशि और ऐसे कार्यक्रमों के कायदाग्रहियों के बारे सम्बंधित है।
- (13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।
- (14) किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में बारे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।
- (15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घटे सम्बंधित है।
- (16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।
- (17) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।
- (ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।
- (घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिये कारण उपलब्ध करायेगा।
- (2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरन्तर यह प्रयास होगा कि यह उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार रवेप्रेरणा से जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इन्टरनेट भी है इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे, जिससे जनता को सूचना प्राप्त कराने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।
- (3) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिये प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिये सहज रूप से पहुँच योग्य हो।
- (4) सभी सामग्री को लागू प्रभावशीलता स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यतत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रोनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रा लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए। स्पष्टीकरण उप-धारा(3) और उप-धारा(4) के प्रयोजनों के लिये “प्रसारित” से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इन्टरनेट या किसी अन्य माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्बंधित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है।

—प्राचार्य
शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह
राजकीय महाविद्यालय
सवाई माधोपुर